आर.ए.एस. पिंकी मीणा के निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपए की डिमांड से जुड़ा मामला

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपए की डिमांड से जुड़े मामले में बांदीकुई की तत्कालीन एसडीओ पिंकी मीणा को निलंबन करने वाले 15 जनवरी 2021 के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका सह आरोपी पुष्कर मित्तल की याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश पिंकी मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मामला सह आरोपी पुष्कर मित्तल से अलग नहीं है और उसके निलंबन आदेश पर गत 17 जुलाई को रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा रिव्यू कमेटी की गत 16 दिसंबर की बैठक के विवरण में याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द नहीं करने का कारण नहीं बताया गया है। ऐसे में समानता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मामला सह आरोपी पुष्कर मित्तल से अलग नहीं है और उसके निलंबन आदेश पर गत 17 जुलाई को रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा रिव्यू कमेटी की गत 16 दिसंबर की बैठक के विवरण में याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द नहीं करने का कारण नहीं बताया गया है। ऐसे में समानता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाती है।

याचिकाकर्ता के बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दौसा के तत्कालीन एसडीओ पुष्कर कुमार मित्तल और याचिकाकर्ता के खिलाफ जनवरी 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी और मामले में गिरफ्तारी के बाद अलग-अलग आदेशों से दोनों को निलंबन कर दिया गया था। वहीं पुष्कर मित्तल के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट गत 17 जुलाई को स्टे कर चुका है। मामले में एसीबी की ओर से आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद केस में कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में उसके निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाए। जिसका विरोध करते हुए अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याचिका पेश होने के बाद दोनों आरोपियों को गत 30 दिसंबर को विभागीय आरोप पत्र दिया जा चुका है। रिव्यू कमेटी की ओर से याचिकाकर्ता के निलंबन को लेकर समीक्षा की गई थी, लेकिन गत 16 दिसंबर की बैठक में निलंबन रद्द करने की सिफारिश नहीं की गई।

सरकारी पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि रिव्यू कमेटी की गत 12 मई को भी बैठक हुई थी, लेकिन उसके विवरण की जानकारी उन्हें नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के निलंबन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि हाईवे निर्माण कंपनी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि आरोपी एसडीओ काम में रुकावट नहीं डालने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर एसीबी ने 13 जनवरी 2021 को पुष्कर मित्तल को पांच लाख रुपए लेते गिरफ्तार किया था। वहीं एसडीओ पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मुख्यमंत्री ने दी वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान राशि में वृद्धि को मंजूरी

पत्रकार कल्याण और सम्मान के लिए राज्य सरकार का अहम निर्णय

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पत्रकार कल्याण, सम्मान एवं सुरक्षा के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए सम्मान राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शर्मा द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में संशोधन कर पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों की सम्मान राशि में वृद्धि करते हुए इसे 18 हजार रुपये करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जारी की अधिसूचना, बजट घोषणा के अनुरूप अब मिलेगी 18 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि

डीआईपीआर द्वारा जारी राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2026 के अनुसार ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार, जिन्होंने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसी में कम से कम 20 वर्षों तक सेवायोजन कार्य किया हो (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेंसी के संपादक, प्रकाशक व मालिक सहित) और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वे प्रतिमाह 18 हजार रुपये सम्मान राशि के पात्र होंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष बजट 2026-27 में अधिस्वीकृत पत्रकारों की सम्मान राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा की अनुपालना में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के बाद वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत लाभार्थी दिवगंत पत्रकार की पत्नी को मिलने वाली सम्मान निधि की राशि भी 7 हजार 500 रुपये से बढ़कर 9 हजार रुपये हो गई है।

आचार्य बालकृष्ण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान

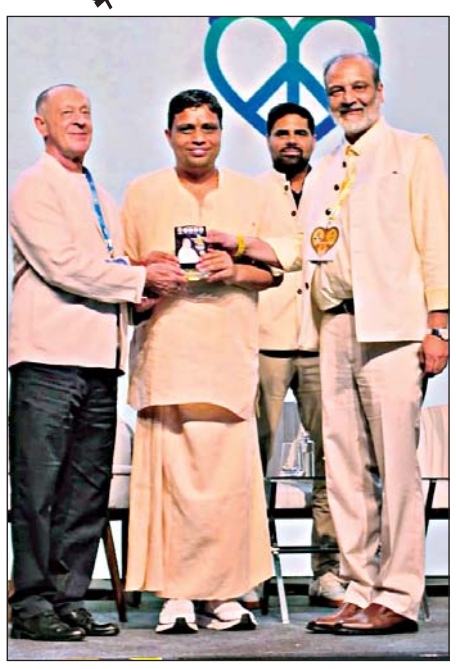

हरिद्वार। योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपरा के पथ-प्रदर्शक आचार्य बालकृष्ण को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आज एक और प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया गया। मुंबई में आयोजित वैश्विक "बिलियनर्स फॉर पीस कॉन्क्लेव 2026" में उन्हें "आई एम पीसकीपर-चैंपियन हैल्थ अवार्ड 2026" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्व शांति, मानवता, स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक कल्याण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। आचार्य बालकृष्ण को यह सम्मान ऐसे समय में प्राप्त हुआ है जब आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धित को पूरी दुनिया में अभूतपूर्व स्वीकार्यता मिल रही है। उन्होंने अपने अनुकरणीय शोध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैश्विक प्रयासों के माध्यम से आयुर्वेद को केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धित तक सीमित नहीं रहने दिया, अपितु उसे आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और समग्र स्वास्थ्य के साथ जोडकर नई दिशा प्रदान की है। उनके नेतृत्व में पतंजलि द्वारा भारतीय पौराणिक ग्रन्थों में समाहित ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साक्ष्य-आधारित परिणामों में माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सम्मान प्राप्त करने के उपरांत आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि एक स्वस्थ मानव ही शांतिपूर्ण समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धित नहीं, अपितु सम्पूर्ण मानवता को संतुलित, निरोग और सकारात्मक जीवन की दिशा प्रदान करने वाला विज्ञान है।

रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग से लूट

जयपुर। जामडोली इलाके से बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार दो बदमाशों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को लिफ्ट दी और फिर सुनसान जगह ले जाकर उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पीडित बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। एएसआई शिवदयाल ने बताया कि रूपलाल मीणा (70) जगतपुरा निवासी बुधवार शाम करीब साढ़े 6 बजे तिलक हॉस्पिटल के पास से पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक उनके पास आए और रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोक लिया। बातचीत के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग को अपनी बातों में फंसाया और मदद करने व रास्ता बताने के बहाने उन्हें झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठा लिया और रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर बाइक रोक दी। वहां दोनों बदमाशों ने बुजुर्ग को डराया-धमकाया और जबरन उनके गले की सोने की चेन और जेब से पर्स छीन लिया।

आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा का चालक गिरफ्तार

सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 पेपर लीक का मामला

जयपुर (कासं)। एसआई भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा के चालक नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपने बेटे अजय प्रताप सिंह को परीक्षा में अवैध लाभ दिलाने के लिए पेपर और उत्तर उपलब्ध करवाने का आरोप है। एसओजी अजय प्रताप सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि नादान सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेटे को एसआई भर्ती परीक्षा में पास करवाने के लिए सुनियोजित साजिश रची। जांच में सामने आया कि उसने बेटे से एसआई भर्ती का फॉर्म भरवाया और तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से परीक्षा में मदद सुनिश्चित करवाई। जांच के दौरान पता चला कि बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से पहले तीनों दिन के प्रश्नपत्र और उत्तर अपने भांजे विजय कुमार डामोर को उपलब्ध करवाए थे। नादान सिंह ने विजय डामोर से प्रश्न और उत्तर लेकर अपने बेटे अजय प्रताप तक पहुंचाए।

एसओजी के अनुसार लीक पेपर पढ़कर परीक्षा देने वाले अजय प्रताप सिंह को हिंदी विषय में 200 में से 174.28 तथा सामान्य ज्ञान में 200 में से 150.2 अंक प्राप्त हुए थे, जिससे वह परीक्षा में सफल हो गया।

अजय प्रताप सिंह को एसओजी ने 18 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। अब एसओजी ने नादान सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 22 मई तक रिमांड पर भेजा गया है।

एसओजी उससे पूछताछ कर रही है कि उसे पेपर लीक की जानकारी कैसे मिली और पूरे नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका रही।

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान पुलिस में एसआई पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। इस पेपर लीक मामले में अब तक 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपी नादान सिंह राठौड मूल रूप से पदमपुरा (अजमेर) का निवासी है और फिलहाल अजमेर पुलिस लाइन के पास महादेव नगर में रह रहा था।

व्यापारी से 5 करोड़ रु. फिरौती मांगी

जयपुर। श्याम नगर थाना इलाके में एक बार फिर रंगदारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नामचीन व्यापारी से विदेशी नंबर से कॉल कर 5 करोड़ रुपये की मोटी फिरौती मांगी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच-पडताल शुरु कर दी है। पुलिस ने बताया कि श्याम नगर निवासी एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे के मोबाइल पर 18 मई दोपहर तीन से चार बजे के बीच विदेशी नंबर से कॉल आया। फोन उठाने पर सामने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया और पांच करोड रुपए फिरौती देने के लिए धमकाया। इस अचानक आई धमकी से घबराकर व्यापारी के बेटे ने फोन काट दिया।कॉल कटने के बाद भी आरोपी शांत नहीं हुआ। उसने पीडित के मोबाइल पर एक बेहद डरावना और धमकी भरा टेक्स्ट मैसेज भेजा। जिसके बाद पीडित व्यापारी का पूरा परिवार दहशत में आ गया।

वफादार नौकर ही निकला पिकअप चोर

जयपुर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए मालिक की पिकअप चोरी करने वाले उसके ही नौकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी गई पिकअप बरामद कर ली। वहीं एक अन्य मामले में दो स्कूटी चोरों को भी गिरफ्तार कर चोरी की एक्टिवा बरामद की गई है।जयपुर पूर्व की पुलिस उपायुक्त रंजीता शर्मा ने बताया कि परिवादी देशदीपक गर्ग ने 20 मई को आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मई को उनके घर के बाहर खड़ी कमर्शियल पिकअप चोरी हो गई।